पत्रा0सं0-विधि-/2023-24/ 240 /राज्य कर।

कार्यालयः-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 24 जुलाई, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त /
संयुक्त आयुक्त(कार्य0) / उपायुक्त /
सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी(खण्डों में कार्यरत)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में मुख्यालय के पत्र सं0-विधि/2018-19/430/वाणिज्य कर, दिनांक 19-11-2018 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया था, जिसे पुनः मुख्यालय के पत्र सं0-जी0एस0टी0/2022-23/83/राज्य कर, दिनांक 10-05-2022 द्वारा संशोधित करते हुए अधिकारियों को विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया था :-

(क) निर्माता व्यापारी (Manufacturer) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त-01 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त-50 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी-50 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

(ख) व्यापारी (Trader) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त-2.50 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त-75 लाख से अधिक व 2.50 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी-75 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

पंजीयन के सम्बन्ध में किये गये विधिक संशोधनों तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन हेतु उपर्युक्त आवर्त सीमा को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

(क) निर्माता व्यापारी (Manufacturer) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त राज्य कर - रु0 01 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त राज्य कर - रु0 50 लाख से अधिक व रु0 01 करोड़ तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी - रु0 50 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

(ख) ट्रेडर्स (Traders) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त राज्य कर - रु0 2.50 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त राज्य कर - रु0 75 लाख से अधिक व रु0 2.50 करोड़ तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी - रु0 75 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

D.C. (I.T)
24/07/2023
1494

(ग) करमुक्त आवर्त के सम्बन्ध में :-

1. उपायुक्त राज्य कर - रु0 10 करोड़ आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त राज्य कर - रु0 1.5 करोड़ से अधिक व रु0 10 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी - रु0 1.5 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

संयुक्त आवर्त अर्थात् करमुक्त तथा करयोग्य आवर्त की स्थिति में करयोग्य आवर्त को वरीयता दी जाएगी।

खण्ड में तैनात उपायुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यापारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त (विधि/जी0एस0टी0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0) राज्य कर, मुख्यालय।
4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

संयुक्त आयुक्त (विधि) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

I.T